

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 354]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त 2015—भाद्र 5, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश  
पर्यावरण परिसर, ई-अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2015

#### सूचना

क्र. 4432-वियो-445-नग्रानि-2015. —एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि हरदा निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 27 अगस्त 2015 को प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश.
2. जिला कलेक्टर, हरदा, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, हरदा, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में प्रदर्शनी स्थल अथवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, होशंगाबाद में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

गुलशन बामरा, आयुक्त-सह-संचालक

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2015

क्र. एफ-3-95-2015-अठारह-5. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 4432-वियो-445 नगानि, दिनांक 21 अगस्त 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. के. मुदगल, उपसचिव.

Bhopal, the 21st August 2015

NOTICE

No. 4432-MPS-445-2015.—Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Harda Planning Area has published on dated 27th August 2015 in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), a copy thereof is available During office hours, for inspection at :-

1. Commissioner, Narmadapuram Division, Hoshangabad.
2. Collector, District, Harda.
3. Chief Municipal Officer Municipal Council, Harda.
4. Deputy Director, Town & Country Planning, Distt. Office Hoshangabad.

If there be any objection or suggestion with respect to the said draft plan, the same May be submitted in writing to the venue place or Deputy Director, Town & Country Planning, Hoshangabad before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration.

GULSHAN BAMRA, Commissioner-cum-Director.